

(संशोधित)

।। कार्यालय जनपद न्यायाधीश पौड़ी गढ़वाल ।।

(प्रशासनिक अनुभाग)

स्थायी आदेश सं० 07 /2025 दिनांक : जुलाई 26 ,2025

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, द्वारा जनपद में जिला जजी, पौड़ी मुख्यालय में न्यायिक अधिकारी श्रीमती नेहा कय्यूम, सिविल जज (सी०डि०), पौड़ी के स्थानान्तरण के फलस्वरूप एवं माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के पत्र सं० 6334/UHC/Admin-B, Dated 21 November 2023 **“Constitution of Accessibility committee in District Courts”** के अनुपालन में तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र दिनांकित 06.11.2023 के साथ संलग्न Standard Operating Procedure के बिन्दु सं० 32 के अनुपालन में पूर्व आदेश सं० 04/2024, दिनांकित 12 मार्च 2024 के द्वारा जजशिप पौड़ी गढ़वाल में **Accessibility committee** को संशोधित करते हुए संशोधित कमेटी का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:—

क्रम सं०	Accessibility committee के सदस्य का नाम	नाम/पदनाम	सम्पर्क नं०
1	श्रीमती रीना नेगी	अपर जिला जज कोटद्वार	9456592149
2	श्रीमती प्रतीक्षा केसरवानी (संशोधित)	सिविल जज (जू०डि०) पौड़ी गढ़वाल	9412073389
3	नाजिया	अधिवक्ता, बार एसोशिएसन कोटद्वार	7078686865
4	श्री रोहित नेगी,	प्रशासनिक अधिकारी/लेखा लिपिक (District System Administrator)	9557832894

Sd/-

(धर्म सिंह)

जनपद न्यायाधीश

पौड़ी गढ़वाल ।

पत्रांक 1078 /प्रशा० दिनांक : जुलाई 26 ,2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अपर जिला जज कोटद्वार ।
2. सिविल जज (जू०डि०) पौड़ी गढ़वाल ।
3. संबंधित कर्मचारी ।
4. अध्यक्ष/सचिव, बार एसोशिएसन पौड़ी/श्रीनगर/कोटद्वार/लैंसडाउन/धुमाकोट ।
5. सिस्टम आफिसर/असिस्टेंट को इस आशय से प्रेषित की उक्त कमेटी को जजशिप पौड़ी गढ़वाल की वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
जिला जजी पौड़ी गढ़वाल ।